16/6/17

परन्तु स्व० नारायण के नाम से नामान्तरण नहीं होने से वादीगण के नाम नामान्तरण नहीं हो सका।

रेकर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली को प्रस्तुत करवाया। वादीगण का पक्ष स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

"आदेश"

वादीगण का पक्ष स्वीकार कर वाके सा डेल के खाता सं० 109 रकबा 47 बीघा 02 में से 8 बीघा भूमि (दक्षिणी - पश्चिमी भाग) का वादीगण के स्वतंत्र खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। विडी भाटी को निर्णय आज मुझे आज में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner